है चूंकि अपीलार्थी साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन भार का निर्वहन करने में असफल रहा था । अपीलार्थी अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं लाया है जो आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए योग्य हो ।

23. यह अपील खारिज की जाती है । लंबित आवेदनों का, यदि कोई हैं, तद्नुसार निपटारा हो जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

[2021] 3 उम. नि. प. 77

शेख अहमद

बनाम

तेलंगाना राज्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 533]

28 जून, 2021

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 364क – फिरौती के लिए व्यपहरण – अभियुक्त को इस धारा के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए उसके द्वारा विपदग्रस्त का फिरौती के लिए व्यपहरण करने के अतिरिक्त इस धारा के किसी एक भाग का पूर्ण होना आवश्यक है अर्थात् (क) व्यपहृत व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी दी गई हो या (ख) व्यपहरणकर्ता के आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा हुई हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित की जा सकती है और जहां न तो शिकायतकर्ता और न ही विपदग्रस्त का यह दावा हो कि अभियुक्त ने विपदग्रस्त को ऐसी धमकी दी थी या

उसके आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा हुई थी कि विपदग्रस्त की मृत्यु या उसको उपहति कारित की जा सकती है, वहां धारा की दूसरी शर्त पूर्ण न होने के कारण अभियुक्त की धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त करना और उसे धारा 363 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, विपदग्रस्त (अभि. सा. 2) प्रतीक गुप्ता सेंट मैरी उच्च विद्यालय, रेजिमेंटल बाजार, सिकंदराबाद, हैदराबाद में छठी कक्षा का छात्र था । वह तारीख 3 फरवरी, 2011 को विद्यालय द्वारा आयोजित एक पिकनिक पर गया था और लगभग 3.00 बजे अपराह्न में विद्यालय वापस आया था । प्रायिक तौर पर, वह विद्यालय से उसे घर छोड़ने के लिए एक नियमित (नियत किए गए) आटो के लिए प्रतीक्षा करता था किंतु दुर्भाग्यवश उक्त तारीख को वह आटो नहीं आया । उसने लगभग 4.00 बजे अपराह्न तक प्रतीक्षा की और उसके पश्चात् उसने अपने विद्यालय की अध्यापिका के सेलफोन से अपने पिता (अभि. सा. 1) को फोन किया । उसके पिता ने उसे निदेश दिया कि वह एक अन्य आटो लेकर घर चला जाए । उसने अभियुक्त द्वारा चलाए जा रहे आटो की सेवाएं उसे घर ले जाने के लिए ली और आटो में बैठ गया । उसके पश्चात् अभियुक्त उसे यह कहकर एक अज्ञात रास्ते से ले गया कि यह एक छोटा रास्ता है और उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गया । उसके पश्चात्, अभियुक्त ने उसके पिता को यह कहते हुए कॉल किया कि उसका पुत्र मेरी अभिरक्षा में है और उसे छोड़ने के लिए दो लाख रुपए की फिरौती की मांग की । उसी दिन लगभग 8.00 बजे अपराह्न में अभियुक्त ने पुन: उसे कॉल की और उसके पुत्र को छोड़ने के लिए अपनी मांग दोहराई । फोन कॉल प्राप्त होने के पश्चात् वह पुलिस थाने गया और रिपोर्ट दर्ज की । यह रिपोर्ट प्राप्त की गई और भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया और आगामी अन्वेषण के लिए सौंपा गया । उसके पश्चात् अभियुक्त व्यपहृत के साथ एक आटो में बैठा और यात्रा करते हुए उसके पिता को आटो ड्राइवर के फोन से फिरौती के धन की स्थिति के बारे में जांच करने के लिए फोन किया । अभियुक्त ने व्यपहृत के पिता को कहा कि

वह पिलर सं. 99, पी. वी. नरसिम्हाराव एक्सप्रेस-वे पर पैदल आए और शनाख्त के लिए अपने हाथ खड़े करे । जब वह उस अवस्थान पर पहुंचा तो उसने अभियुक्त को उस स्थल पर मौजूद पाया और अपने हाथ खड़े कर लिए । जब उसने अभियुक्त को फिरौती सौंपने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने अभियुक्त को घेर लिया और उसे अभिरक्षा में ले लिया । पुलिस ने विपदग्रस्त को थोड़ी दूरी पर एक आटो में बैठे हुए पाया जिसे पुलिस थाने ले जाया गया और पुलिस थाना में विपदग्रस्त का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन अभिलिखित किया गया । अन्वेषण के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिकंदराबाद द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त की उपसंजाति के पश्चात् अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले को विद्वान् सेशन न्यायाधीश के सुपुर्द कर दिया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन अपराध के लिए दोषिता को सिद्ध किया है । दोषसिद्धि अभिलिखित करने के पश्चात् उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और पांच हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए भी दायी ठहराया । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा इस अपील को खारिज कर दिया गया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोषिता को सभी युक्तियुक्त संदेह के परे निश्चित रूप से साबित किया है । उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पहली आवश्यक शर्त जो धारा 364क में सम्मिलित की

गई है वह "जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा" है । दूसरी शर्त संयोजन "और" से आरंभ होती है । दूसरी शर्त के भी दो भाग हैं अर्थात् (क) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देगा या (ख) अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है । उपरोक्त शर्त का कोई भाग यदि पूर्ण हो जाता है तो अपराध के लिए दूसरी शर्त पूर्ण हो जाएगी । तीसरी शर्त "या" शब्द से आरंभ होती है अर्थात् या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए । तीसरी शर्त "या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य को कोई कार्य करने या प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए" शब्दों से आरंभ होती है । धारा 364क में "फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण" शीर्षक अंतर्विष्ट है । किसी व्यक्ति द्वारा फिरौती की मांग करने के लिए किया गया व्यपहरण पूरी तरह से धारा 364क के अंतर्गत आता है । इस न्यायालय ने यह पाया है कि पहली शर्त के पश्चात् दूसरी शर्त संयोजन "और" द्वारा जोड़ी गई है, अत: जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देगा । संयोजन "और" के प्रयोग का अपना प्रयोजन और उद्देश्य है । धारा 364क में "या" शब्द नौ बार प्रयोग किया गया है और संपूर्ण धारा में केवल एक संयोजन "और" अंतर्विष्ट है । इस प्रकार, धारा 364क के अधीन अपराध को आच्छादित करने के लिए पहली शर्त को पूर्ण करने के अतिरिक्त दूसरी शर्त अर्थात् "और ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु या उसे उपहति कारित करने की धमकी देगा" साबित किए जाने की आवश्यकता होती है यदि मामला "या" द्वारा जोड़े गए पश्चात्वर्ती खंडों के अंतर्गत नहीं आता है । "और" शब्द को संयोजक के रूप में प्रयुक्त किया गया है । "या" शब्द

पूरी तरह से विभेदकारी है । दोनों शब्दों को भिन्न-भिन्न प्रयोजन और उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया गया है । इस प्रकार, धारा 364क जो संयोजक "और" से जुड़ी है, की शर्त सं. 1 और 2 पर निर्वचन के उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए हमारा यह मत है कि इससे पूर्व कि धारा 364क के संघटकों को सिद्ध किया जाना पाया गया हो, शर्त सं. 2 को भी पूरा किया जाना चाहिए । धारा 364क में यह भी उपदर्शित है कि यदि शर्त "और ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु या उसे उपहति कारित करने की धमकी देगा" साबित नहीं होती है तो अन्य श्रेणियां हैं जो "या" शब्द से आरंभ होती हैं, वे शर्तें, यदि साबित हो जाती हैं, तो अपराध सिद्ध हो जाएगा । इस प्रकार जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूसरी शर्त दो भागों में विभाजित है – (क) और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति कारित करने की धमकी देगा या (ख) अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है । इस प्रकार, पहली शर्त सिद्ध करने के पश्चात् एक और शर्त को पूरा किया जाना चाहिए चूंकि पहली शर्त के पश्चात् प्रयुक्त शब्द "और" है । इस प्रकार, पहली शर्त के अतिरिक्त या तो शर्त (ii) या (iii) को साबित किया जाना चाहिए, जिसके असफल रहने पर धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि संधार्य नहीं की जा सकती है । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा उसके समक्ष उठाए गए इस आधार पर विचार नहीं किया था कि अभियुक्त द्वारा मृत्यु या उपहति कारित करने की कोई धमकी नहीं दी गई थी । अत: उच्च न्यायालय के निर्णय से यह कहा जा सकता है कि शर्त सं. 2 को पूरा करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं है । दोनों न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया था कि शर्त सं. 2, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर सिद्ध की गई पाई गई है, इसलिए धारा 364 के अधीन दोषसिद्धि असंधार्य बन गई है । प्रस्तुत मामला ऐसा नहीं है जहां शर्त सं. (iii) अर्थात् "या उपहति या मृत्यु कारित की है" की प्रयोज्यता का दावा तक किया गया हो । इस प्रकार, शर्त सं. (ii) को पूरा करना धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि के लिए आवश्यक था । तथापि, यह न्यायालय अभिलेख पर के साक्ष्य की परीक्षा अपना यह समाधान करने के लिए अग्रसर होगा कि

क्या ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह साबित हो सके कि शर्त सं. 2 अर्थात् "मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी दी गई थी या अभियुक्त के आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका पैदा हुई थी कि विपदग्रस्त की हत्या की जा सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है" सिद्ध होती है । शिकायतकर्ता, अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा था कि "मेरे पुत्र पर शारीरिक रूप से हमला नहीं किया गया था .....। मेरे पुत्र ने मुझे दुर्व्यवहार या किसी प्रकार का हमला करने के बारे में शिकायत नहीं की थी । मेरे पुत्र को सही स्वास्थ्य और मेरे पुत्र को किसी प्रकार की कठिनाई के बिना रखा गया था ।" अभि. सा. 2, विपदग्रस्त की भी परीक्षा की गई थी, जो परीक्षा के समय 13 वर्ष की आयु का था । विपदग्रस्त ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा – "मुझ पर हमला नहीं किया गया था और न ही मुझे थप्पड़ मारा गया था और न ही मेरी पिटाई की गई थी । उन्होंने मेरे साथ अच्छी रीति में व्यवहार किया था ।" इस प्रकार, न तो अभि. सा. 1, विपदग्रस्त के पिता, शिकायतकर्ता ने और न ही विपदग्रस्त ने यह कहा था कि किसी अभियुक्त ने मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी दी थी । न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था उससे अन्यथा यह सुझाव मिलता है कि विपदग्रस्त पर हमला नहीं किया गया था और उसके साथ अच्छी रीति में सही व्यवहार किया गया था, जैसा कि विपदग्रस्त द्वारा कथन किया गया था । अब शर्त सं. 2 के दूसरे भाग अर्थात् "या उसके आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है" पर आते हैं । न तो निचले न्यायालय द्वारा चर्चा किया गया अभियुक्त का कोई ऐसा आचरण है जिससे एक युक्तियुक्त आशंका पैदा हुई हो कि विपदग्रस्त की हत्या की जा सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है और न ही साक्ष्य में ऐसी कोई बात है जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि शर्त का दूसरा भाग पूरा होता है । अत: हमारा यह मत है कि अभिलेख पर के साक्ष्य से धारा 364क की दूसरी शर्त को पूरा किया साबित नहीं होता है । दूसरी शर्त भी एक पूर्ववर्ती शर्त है जिसका भारतीय दंड संहिता की धारा 364क लागू करने के लिए समाधान किया जाना आवश्यक है । दूसरी शर्त को

सिद्ध किया गया साबित नहीं होने के कारण हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की इस दलील में सार पाते हैं कि अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि असंधार्य है । अत: यह न्यायालय अपीलार्थी की धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त करता है, तथापि, व्यपहरण के संबंध में अभिलेख पर के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त ने फिरौती के लिए विपदग्रस्त का व्यपहरण किया था और फिरौती की मांग को भी साबित किया गया था । यद्यपि धारा 364क के अधीन अपराध को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है किंतु व्यपहरण के अपराध को पूरी तरह से सिद्ध किया गया है जिसके संबंध में विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पैरा 19 और 20 में एक स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया है । व्यपहरण का अपराध साबित किया गया है इसलिए अभियुक्त धारा 363 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने योग्य है । धारा 363 में दंड के लिए उपबंध किया गया है जिसमें ऐसी अवधि का कारावास का उपबंध है जो 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा । प्रस्तुत मामले के तथ्यों में इस न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि अपीलार्थी सात वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किए जाने योग्य है और पांच हजार रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के निर्णय को उपरोक्त सीमा तक उपांतरित किया जाता है । (पैरा 13, 14, 15, 16, 21, 34, 39, 40, 41, 42, 43 और 44)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	(2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 400 : **अरविन्द सिंह** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	31
[2015]	(2015) 9 एस. सी. सी. 502 : **विक्रम सिंह** उर्फ **विक्की और एक अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य** ;	30
[2007]	(2007) 11 एस. सी. सी. 633 : **विश्वनाथ गुप्ता** बनाम **उत्तरांचल राज्य** ;	28

[2007] (2007) 5 एस. सी. सी. 634 :
सुमन सूद उर्फ **कमलजीत कौर** बनाम
राजस्थान राज्य ; 25

[2006] (2006) 13 एस. सी. सी. 36 :
अनिल उर्फ **राजू नामदेव पाटिल** बनाम
दमन और दीव प्रशासन और एक अन्य ; 24

[2004] (2004) 8 एस. सी. सी. 95 :
मल्लेशी बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 22

[2000] (2000) 1 एस. सी. सी. 426 :
हैदराबाद ऐस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स
और एक अन्य बनाम **भारत संघ** ; 19

[1971] [1971] 3 उम. नि. प. 712 = (1971)
2 एस. सी. सी. 540 :
पंजाब प्रोड्यूस एंड ट्रेडिंग कं. लि. बनाम
आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता । 17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 533.

2012 की दांडिक अपील सं. 1121 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के तारीख 6 अगस्त, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री पाई अमीत, सौरभ अग्रवाल, (सुश्री) कोमल मुंधरा, वामशी राव, शांतनु सिंह और (सुश्री) पंखुड़ी भारद्वाज

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री बीना माधवन, श्री एस. उदय कुमार सागर और सुश्री स्वीना नायर

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने दिया ।

न्या. भूषण – इजाजत दी गई ।

2. अभियुक्त द्वारा यह अपील उच्च न्यायालय के तारीख 6 अगस्त, 2019 के उस निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है

जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश को प्रश्नगत करते हुए अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई 2012 की दांडिक अपील सं. 1121 खारिज कर दी गई थी ।

3. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है :–

3.1 विपदग्रस्त, अभि. सा. 2 प्रतीक गुप्ता सेंट मैरी उच्च विद्यालय, रेजिमेंटल बाजार, सिकंदराबाद, हैदराबाद में छठी कक्षा का छात्र था । अभि. सा. 2 तारीख 3 फरवरी, 2011 को विद्यालय द्वारा आयोजित एक पिकनिक पर गया था और लगभग 3.00 बजे अपराह्न में विद्यालय वापस आया था । प्रायिक तौर पर, अभि. सा. 2 विद्यालय से उसे घर छोड़ने के लिए एक नियमित (नियत किए गए) आटो के लिए प्रतीक्षा करता था किंतु दुर्भाग्यवश उक्त तारीख को वह आटो नहीं आया ।

3.2 अभि. सा. 2 ने लगभग 4.00 बजे अपराह्न तक प्रतीक्षा की और उसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने अपने विद्यालय की अध्यापिका के सेलफोन से अपने पिता (अभि. सा. 1) को फोन किया । अभि. सा. 1 ने अभि. सा. 2 को निदेश दिया कि वह एक अन्य आटो लेकर घर चला जाए । अभि. सा. 2 ने अभियुक्त (इस अपील में अपीलार्थी) द्वारा चलाए जा रहे आटो की सेवाएं उसे घर ले जाने के लिए ली और आटो में बैठ गया ।

3.3 उसके पश्चात् अभियुक्त अभि. सा. 2 को यह कहकर उसे एक अज्ञात रास्ते से ले गया कि यह एक छोटा रास्ता है और उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गया तथा उसे यह वचन दिया कि वह अभि. सा. 1 से कॉल करेगा और सही पता अभिनिश्चित करेगा और उसके पश्चात् वह अभि. सा. 2 को घर पर छोड़ देगा । यह अभिकथित है कि अभियुक्त अभि. सा. 2 को अपनी बहिन, अभि. सा. 6 के मकान पर ले गया और अभि. सा. 2 को कहा कि वह उसे अगले दिन सवेरे उसके घर छोड़

देगा । उसके पश्चात्, अभियुक्त ने अभिकथित रूप से अभि. सा. 1 को यह कहते हुए कॉल किया कि अभि. सा. 2 उसकी अभिरक्षा में है और अभि. सा. 2 को छोड़ने के लिए दो लाख रुपए की फिरौती की मांग की ।

3.4 उसी दिन लगभग 8.00 बजे अपराह्न में अभियुक्त ने पुन: अभि. सा. 1 को कॉल की और अभि. सा. 2 को छोड़ने के लिए अपनी मांग दोहराई । अभि. सा. 1 ने फिरौती की रकम का संदाय करने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की, जिसके पश्चात् अभियुक्त ने अभि. सा. 2 को छोड़ने के लिए 1.50 लाख रुपए की राशि की मांग की । फोन कॉल प्राप्त होने के पश्चात् अभि. सा. 1 पुलिस थाने गया और रिपोर्ट दर्ज की, जो प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नित है । यह रिपोर्ट प्राप्त की गई और भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन एक मामला सीवी सं. 37/2011 रजिस्ट्रीकृत किया गया और आगामी अन्वेषण के लिए सौंपा गया ।

3.5 अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न में अभियुक्त अभि. सा. 2 के साथ एक आटो में अपनी बहिन के घर से बोराबांडा के लिए निकला और यात्रा करते हुए आटो ड्राइवर (अभि. सा. 5) के फोन से अभि. सा. 1 को फिरौती के धन की स्थिति के बारे में जांच करने के लिए फोन किया । अभि. सा. 1 को पिलर सं. 99, पी. वी. नरसिम्हाराव एक्सप्रेस-वे पर पैदल आने के लिए कहा और शनाख्त के लिए अपने हाथ खड़े करे । जब अभि. सा. 1 उस अवस्थान पर पहुंचा तो उसने अभियुक्त को उस स्थल पर मौजूद पाया और अपने हाथ खड़े कर लिए । जब अभि. सा. 1 अभियुक्त को फिरौती सौंपने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने, जो मुफ्ती में थी, अभियुक्त को घेर लिया और उसे अभिरक्षा में ले लिया । पुलिस ने अभियुक्त से दो सेलफोन, आईडी कार्ड और 200/- रुपए अभिगृहीत किए ।

3.6 पुलिस ने विपदग्रस्त को थोड़ी दूरी पर एक आटो में बैठे हुए पाया जिसे पुलिस थाने ले जाया गया और पुलिस थाना गोपालपुरम में विपदग्रस्त (अभि. सा. 2) का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन अभिलिखित किया गया । अन्वेषण के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिकंदराबाद द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त की उपसंजाति के पश्चात् अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले को विद्वान् सेशन न्यायाधीश के सुपुर्द कर दिया । अभियोजन पक्ष ने आठ साक्षियों की परीक्षा की और विपदग्रस्त के पिता और वस्तुत: शिकायतकर्ता, संजय गुप्ता की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई । प्रतीक गुप्ता, विपदग्रस्त की अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा की गई । कुमारी सुजाता रानी, विद्यालय अध्यापिका की अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई, जिसने यह साबित किया कि उसके सेल फोन से विपदग्रस्त ने अपने पिता से बात की थी जिसने विपदग्रस्त को एक अन्य आटो लेकर आने के लिए कहा था । अभि. सा. 4 कृष्णा यादव और अभि. सा. 7 की पंच साक्षियों के रूप में परीक्षा की गई थी । अभि. सा. 5 की उस आटो ड्राइवर के रूप में परीक्षा की गई थी, जो अभियुक्त के कहने पर अभियुक्त और विपदग्रस्त को पी. वी. एन. एच. के पिलर सं. 78 पर लाया था । अभि. सा. 8, पुलिस उप निरीक्षक के. रमेश जो अन्वेषक अधिकारी था । अभि. सा. 6 एक अन्य साक्षी था । अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श पी-1 से पी-4 और तात्विक वस्तुत 1 से 3 चिह्नित किए ।

3.7 अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अभिलिखित करने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श डी-1 और डी-

2 चिह्नित किए गए थे ।

3.8 विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त ने अभि. सा. 2 का व्यपहरण किया था और अभि. सा. 2 को छोड़ने के लिए दो लाख रुपए की मांग करते हुए अभि. सा. 1 को फोन किया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन अपराध के लिए दोषिता को सिद्ध किया है । दोषसिद्धि अभिलिखित करने के पश्चात् उसे तारीख 1 नवंबर, 2012 के निर्णय के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और पांच हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए भी दायी ठहराया ।

3.9 अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा इस अपील को तारीख 6 अगस्त, 2019 के आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 2 का व्यपहरण किया गया था और अभि. सा. 1 से दो लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी । जब अपीलार्थी-अभियुक्त मांगी गई इस फिरौती की रकम लेने के लिए आया तो पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोषिता को सभी युक्तियुक्त संदेह के परे निश्चित रूप से साबित किया है । तद्नुसार अपील खारिज कर दी गई ।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि के लिए सभी संघटकों

को साबित करने में असफल रहा था, इसलिए धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि संधार्य नहीं है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि न तो ऐसा कोई साक्ष्य है और न ही निचले न्यायालय द्वारा निकाला गया कोई निष्कर्ष है कि अभियुक्त द्वारा विपदग्रस्त की मृत्यु या उपहति कारित करने की कोई धमकी दी गई थी और न ही उसके आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका उद्भूत हुई थी कि उस व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित की जा सकती है । उन्होंने यह दलील दी कि न तो विद्वान् सेशन न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि के लिए उपरोक्त आवश्यक शर्तों पर विचार किया था, इसलिए निचले न्यायालयों के निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए ।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 2, विपदग्रस्त के कथन को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी कि स्वयं विपदग्रस्त ने अपने कथन में यह कहा था कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था । अभि. सा. 1 ने भी अपने कथन में यह अभिकथन नहीं किया है कि विपदग्रस्त की मृत्यु या उपहति कारित करने की कोई धमकी दी गई थी ।

6. राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल, सुश्री बीना माधवन ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया और अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 8 के कथनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने यह दलील दी कि अभियुक्त की धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।

7. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों और अभिलेख पर की सामग्री से इस अपील में विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न उद्भूत होते हैं :–

(i) भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किए जाने के लिए धारा 364क के आवश्यक संघटक क्या हैं ?

(ii) क्या धारा 364क के अधीन यथा वर्णित प्रत्येक संघटक को धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए साबित किए जाने की आवश्यकता है और इसी शर्त के सिद्ध न होने से भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि दूषित हो सकती है ?

(iii) क्या विद्वान् सेशन न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 364क के सभी संघटकों को साबित किया गया है ?

(iv) क्या कोई ऐसा साक्ष्य या निचले न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है कि अभियुक्त ने विपदग्रस्त की मृत्यु या उसे उपहति कारित करने की धमकी दी थी या उसके आचरण से एक युक्तियुक्त आशंका उद्भूत हुई थी कि विपदग्रस्त की मृत्यु या उसे उपहति कारित की जा सकती है ?

8. यह अपील धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि के आदेश से उद्भूत हुई है, इसलिए विचारणीय बिंदुओं पर विचार करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के उपबंधों का उल्लेख करने की आवश्यकता है ।

9. भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 "व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम" के शीर्षक में अंतर्विष्ट हैं । विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का अपराध धारा 361 के अधीन परिभाषित है और धारा 363 में व्यपहरण के लिए दंड उपबंधित है । धारा 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण के संबंध में है ।

10. भारत के विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता के पुनरीक्षण का कार्य हाथ में लिया और अपनी रिपोर्ट अर्थात् 42वीं रिपोर्ट (जून, 1971) प्रस्तुत की । अध्याय 16 में, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों पर विचार किया गया था । आयोग द्वारा व्यपहरण और अपहरण के अध्याय पर पैरा 16.91 से 16.112 में विचार किया गया था । आयोग द्वारा धारा 364 और 364क पर पैरा 16.99 से 16.100 में विचार किया गया था जो निम्नलिखित हैं :–

"16.99. धारा 364 किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए उसके व्यपहरण या अपहरण के अपराध के लिए दंडित करती है, अधिकतम दंड आजीवन कारावास या दस वर्ष का कारावास है । आजीवन कारावास के बारे में हमारी साधारण सिफारिश को दृष्टिगत करते हुए, हम यह प्रस्तावित करते हैं कि आजीवन कारावास को छोड़ दिया जाना चाहिए और कारावास की अवधि को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया जाना चाहिए ।

धारा में दिए गए दृष्टांत अपराध के किसी विशिष्ट संघटक का वर्णन नहीं करते हैं और छोड़ दिए जाने चाहिएं ।

16.100 हम यह वांछनीय समझते हैं कि फिरौती के लिए व्यपहरण या अपहरण के लिए कठोर रूप से दंडित करने के लिए एक विनिर्दिष्ट धारा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में वृद्धि हो रही है । वर्तमान में, ऐसा व्यपहरण या अपहरण धारा 365 के अधीन दंडनीय है चूंकि व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को गुप्त रूप से और सदोष परिरुद्ध किया जाएगा ।

हमने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या व्यपहृत व्यक्ति को हानि पहुंचाए बिना छोड़ देने के मामले में कम दंड के लिए उपबंध अंत:स्थापित किया जाना चाहिए, किंतु हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है । हम निम्नलिखित धारा का प्रस्ताव करते हैं :–

> '364क. **फिरौती के लिए व्यपहरण या अपहरण** – जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण फिरौती के आशय से उस व्यक्ति को रोकेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 14 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।'"

11. यद्यपि विधि आयोग ने पैरा 16.100 में धारा 364क का प्रस्ताव किया था, जिसमें केवल यह कहा गया था कि जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण फिरौती के आशय से उस व्यक्ति को रोकेगा उसे ऐसी अवधि के कारावास के लिए दंडित किया जाएगा जो 14

वर्ष तक की हो सकेगी । संसद् ने 1993 के अधिनियम सं. 42 द्वारा धारा 364क अंत:स्थापित करते हुए इस उपबंध को एक अधिक व्यापक रीति में अधिनियमित किया और इसमें सरकार को कोई कार्य करने या करने के लिए प्रविरत रहने या कोई फिरौती का संदाय करने के लिए विवश करने हेतु किया गया व्यपहरण या अपहरण सम्मिलित है, जिसे 1995 के अधिनियम सं. 24 द्वारा पुन: संशोधित और विस्तारित किया गया था । संशोधन के पश्चात् धारा 364क जिस प्रकार वह विद्यमान है, निम्नलिखित है :–

> "364क. **फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण** – जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रहेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

12. अब हम यह पता लगाने के लिए धारा 364क पर विचार कर सकते हैं कि स्वयं इस धारा में अपराध के लिए कौन से संघटक अनुध्यात हैं । जब हम धारा 364क की व्याख्या करते हैं तो निम्नलिखित अर्थ निकलता है :–

(i) "जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा" ;

(ii) "और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी

युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है" ;

(iii) "या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए" ;

(iv) "वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" ।

13. पहली आवश्यक शर्त जो धारा 364क में सम्मिलित की गई है वह "जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा" है । दूसरी शर्त संयोजन "और" से आरंभ होती है । दूसरी शर्त के भी दो भाग हैं अर्थात् (क) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देगा, या (ख) अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है । उपरोक्त शर्त का कोई भाग यदि पूर्ण हो जाता है तो अपराध के लिए दूसरी शर्त पूर्ण हो जाएगी । तीसरी शर्त "या" शब्द से आरंभ होती है अर्थात् या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए । तीसरी शर्त "या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य को कोई कार्य करने या प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए" शब्दों से आरंभ होती है । धारा 364क में "फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण" शीर्षक अंतर्विष्ट है । किसी व्यक्ति द्वारा फिरौती की मांग करने के लिए किया गया व्यपहरण पूरी तरह से धारा 364क के अंतर्गत आता है ।

14. हमने यह पाया है कि पहली शर्त के पश्चात् दूसरी शर्त संयोजन "और" द्वारा जोड़ी गई है, अत: जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देगा ।

15. संयोजन "और" के प्रयोग का अपना प्रयोजन और उद्देश्य है । धारा 364क में "या" शब्द नौ बार प्रयोग किया गया है और संपूर्ण धारा में केवल एक संयोजन "और" अंतर्विष्ट है । इस प्रकार, धारा 364क के अधीन अपराध को आच्छादित करने के लिए पहली शर्त को पूर्ण करने के अतिरिक्त दूसरी शर्त अर्थात् "और ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु या उसे उपहति कारित करने की धमकी देगा" साबित किए जाने की आवश्यकता होती है यदि मामला "या" द्वारा जोड़े गए पश्चात्वर्ती खंडों के अंतर्गत नहीं आता है ।

16. "और" शब्द को संयोजक के रूप में प्रयुक्त किया गया है । "या" शब्द पूरी तरह से विभेदकारी है । दोनों शब्दों को भिन्न-भिन्न प्रयोजन और उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया गया है । क्राफोर्ड आन इंटरप्रिटेशन ऑफ ला में इस विषय पर विचार करते हुए दांडिक कानून के संबंध में "वियोजक" और "संयोजक" शब्दों की बाबत निम्नलिखित कथन किया गया है :–

> "..... । न्यायालय को किसी दांडिक कानून में संयोजक शब्दों के स्थान पर वियोजक शब्द और वियोजक शब्दों के स्थान पर संयोजक शब्द प्रतिस्थापित करने में अत्यंत अनिच्छुक रहना चाहिए, यदि ऐसे कार्य से अभियुक्त पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता हो ।"

17. हम इस न्यायालय के कतिपय निर्णयों का भी उल्लेख कर सकते हैं जहां संयोजक "और" का प्रयोग किया गया है । **पंजाब प्रोड्यूस एंड ट्रेडिंग कं. लि.** बनाम **आय-कर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता**[1]

---

[1] [1971] 3 उम. नि. प. 712 = (1971) 2 एस. सी. सी. 540.

वाले मामले में इस न्यायालय को आय-कर अधिनियम, 1992 की धारा 23क स्पष्टीकरण ख (iii) पर विचार करना था, जिस उपबंध को निर्णय के पैरा 5 में उद्धृत किया गया है जो निम्नलिखित आशय का है :–

"**स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी को ऐसी कंपनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, तभी माना जाएगा –

(क) यदि वह ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व सरकार में है, या जिसमें 40 प्रतिशत से अन्यून अंश सरकार द्वारा धारित है ।

(ख) यदि यह इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1913 (1913 का अधिनियम सं. 7) के अधीन यथापरिभाषित प्राइवेट कंपनी नहीं है –

(i) उसके ऐसे अंश (जो लाभांश की नियत दर के लिए हकदार नहीं हैं, चाहे लाभों में भाग लेने के अतिरिक्त अधिकार के सहित या बिना हों, जो 50 प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति रखने वाले हैं, बिना शर्त आबंटित किए गए हैं, अथवा जनता द्वारा बिना शर्त अर्जित किए गए हैं तथा पूर्व वर्ष भर में फायदाप्रद रूप में धारित थे (उस कंपनी को सम्मिलित न करते हुए जिसको इस धारा के उपबंध लागू हैं) :

परंतु उपधारा 4 में यथानिर्देशित किसी ऐसी कंपनी के मामले में यह उपखंड इस रूप में लागू होगा मानो शब्द 'पचास प्रतिशत से अन्यून' के लिए शब्द 'चालीस प्रतिशत से अन्यून' प्रतिस्थापित किए गए हैं ।

(ii) उक्त अंश पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में संव्यवहार के विषय थे या धारक द्वारा जनता के अन्य सदस्यों को निर्विवाद रूप से अंतरणीय थे ; और

(iii) कंपनी के कार्यकलाप अथवा ऐसे अंश जो उसकी मूल मतदान शक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति रखने वाला हो, पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय छह से कम व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित अथवा धारित नहीं थे (व्यक्ति जो परस्पर नातेदार हों, जैसे यथास्थिति पति, पत्नी, वंशानुक्रम अग्रज या वंशज या भाई या बहिन) एकल व्यक्ति माने जाएंगे और वे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के नाम निर्देशिती हैं, उन अन्य व्यक्तियों के सहित एकल व्यक्ति माने जाएंगे :

परंतु उपधारा (4) में यथानिर्देशित ऐसी किसी कंपनी के मामले में यह खंड उस रूप में लागू होगा मानो शब्द '50 प्रतिशत से अधिक' के स्थान पर शब्द '60 प्रतिशत से अधिक' प्रतिस्थापित किए गए हैं ।"

18. इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"..... उपखंड (ख)(iii) के नकारात्मक या अनर्हकारी शर्तों के साथ पढ़ने पर उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि निर्धारिती अन्य उपखंडों में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त इस बात का समाधान करने के लिए आबद्ध है कि पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके क्रियाकलाप का नियंत्रण छह से कम व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता था और छह से कम व्यक्तियों द्वारा उसी कालावधि के दौरान कुल मतदान के 50 प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति वाले अंश धारित नहीं थे । .....।"

19. **हैदराबाद ऐस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्टस और एक अन्य** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में एक अन्य निर्णय में इस न्यायालय को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 के नियम 56-क पर विचार करना था । इस न्यायालय ने "और", "या" संयोजक और अभियोजक के

---

[1] (2000) 1 एस. सी. सी. 426.

निर्वचन पर विचार किया था । नियम 56-क के परंतुक में भी संयोजक "और" शब्द प्रयुक्त किया गया है । पैरा 4 में यथा उद्धृत नियम में का उपबंध निम्नलिखित प्रकार से है :–

> "56-क. उत्पाद-शुल्क योग्य तैयार माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए शुल्क-संदत्त सामग्री या घटक भागों के संचलन के लिए विशेष प्रक्रिया – (1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उत्पाद-शुल्क योग्य माल को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके संबंध में उप नियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया लागू होगी ।
>
> (2) कलक्टर, इस बाबत किए गए आवेदन पर उप नियम (3) में वर्णित शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी उत्पाद-शुल्क योग्य माल के विनिर्माता को वह सामग्री या घटक भागों या तैयार उत्पादों (जैसे ऐस्बेस्टस सीमेंट) को प्राप्त करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा, जिन पर अपने कारखाने में इन माल का विनिर्माण करने के लिए या तैयार उत्पाद के अधिक सुविधाजनक वितरण के लिए उत्पाद-शुल्क या इंडियन टैरिफ ऐक्ट, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन अतिरिक्त शुल्क (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'प्रतिशुल्क' कहा गया है) संदत्त कर दिया गया है और यथास्थिति, ऐसी सामग्री या घटक भागों या तैयार उत्पाद पर पहले ही संदत्त शुल्क का मुज़रा करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा :
>
> परंतु उत्पाद-शुल्क योग्य तैयार माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी सामग्री या घटक भागों के संबंध में शुल्क का मुज़रा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा –
>
> (i) यदि विनिर्माता द्वारा उत्पादित ऐसा उत्पाद-शुल्क योग्य तैयार माल उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूटप्राप्त है या शुल्क की शून्य दर से प्रभार्य हैं, और
>
> (ii) जब तक कि –

(क) उसी मद या उप मद के अधीन उत्पाद-शुल्क योग्य तैयार माल के रूप में ऐसी सामग्री या घटक भागों के लिए शुल्क का संदाय न किया गया हो ; या

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी सामग्री या घटक भागों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से छूट या समायोजन के लिए मंजूरी न दी गई हो :

परंतु यह भी कि यदि ऐसी सामग्री या घटक भागों (जिन पर इस उप नियम के अधीन मुज़रा मंजूर किया गया है) पर संदत्त शुल्क को बाद में, यथास्थिति, ऐसी सामग्री या घटक भागों के विनिर्माता या आयातकर्ता को प्रतिदाय का संदाय करने या उससे अधिक शुल्क की वसूली के परिणामस्वरूप किसी कारणवश परिवर्तित किया जाए, तो तद्नुसार अनुज्ञात मुज़रा भी उप नियम (3) के अधीन बनाए रखे गए प्रत्यय लेखा में या उप नियम (3) या नियम 178(1) के नियम 9 के अधीन बनाए रखे गए चालू खाता में समायोजन करके या यदि समायोजन किसी कारण से संभव न हो तो इस नियम में अंतर्विष्ट प्रक्रिया का उपभोग करते हुए, यथास्थिति, विनिर्माता से नकद वसूली या उसको नकद प्रतिदाय करके परिवर्तित हो जाएगा ।"

20. इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब परंतुक 1 और 2 को संयोजक शब्द "और" द्वारा अलग किया गया है, तो उन्हें संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए । फायदा लेने के लिए दोनों परंतुक की अपेक्षा का समाधान किया जाना चाहिए । पैरा 8 निम्नलिखित प्रकार से है :–

"8. इस नियम की भाषा स्पष्ट और सरल है । इसके निर्वचन में कोई संदेह नहीं है । परंतुक (i) और (ii) संयोजक 'और' का प्रयोग करके अलग किए गए हैं । उन्हें संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए । फायदा लेने के लिए दोनों परंतुकों की अपेक्षा का समाधान

किया जाना चाहिए । परंतुक (ii) के खंड (क) और (ख) 'या' का प्रयोग करके अलग किए गए हैं और यहां दोनों अनुकल्पों में से एक की उपलब्धता पर्याप्त होगी । क्योंकि अपीलार्थियों द्वारा अपने तैयार उत्पाद-शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त सीमेंट और ऐस्बेस्टस फाइबर विभिन्न टैरिफ मदों के अधीन शुल्क के लिए दायी हैं, इसलिए अपीलार्थियों द्वारा नियम 56-क द्वारा विस्तारित प्रोफार्मा प्रत्यय के फायदे का उपभोग नहीं किया जा सकता है और विभाग के प्राधिकारियों द्वारा ठीक ही इनकार किया गया है ।"

21. इस प्रकार, धारा 364क जो संयोजक "और" से जुड़ी है, की शर्त सं. 1 और 2 पर निर्वचन के उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए हमारा यह मत है कि इससे पूर्व कि धारा 364क के संघटकों को सिद्ध किया जाना पाया गया हो, शर्त सं. 2 को भी पूरा किया जाना चाहिए । धारा 364क में यह भी उपदर्शित है कि यदि शर्त "और ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु या उसे उपहति कारित करने की धमकी देगा" साबित नहीं होती है तो अन्य श्रेणियां हैं जो "या" शब्द से आरंभ होती हैं, वे शर्तें, यदि साबित हो जाती हैं, तो अपराध सिद्ध हो जाएगा । इस प्रकार जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूसरी शर्त दो भागों में विभाजित है – (क) और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति कारित करने की धमकी देगा, या (ख) अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है ।

22. अब हम इस न्यायालय के ऐसे कुछ मामलों पर विचार कर सकते हैं जिनमें धारा 364क के विभिन्न संघटकों पर विचार किया गया था । हम पहले **मल्लेशी** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं । उपरोक्त ऐसा मामला था जहां अभियुक्त द्वारा फिरौती के लिए एक वयस्क लड़के का व्यपहरण किया गया था और इस न्यायालय के समक्ष यह दलील दी गई थी कि फिरौती की मांग को सिद्ध नहीं किया गया है । उपरोक्त मामले

---

[1] (2004) 8 एस. सी. सी. 95.

में, इस न्यायालय ने धारा 364क को निर्दिष्ट किया और पैरा 12 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया :–

> "12. धारा 364क के उपबंधों को लागू करने के लिए जो साबित किया जाना अपेक्षित है वह यह है कि – (1) अभियुक्त ने व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया था ; (2) ऐसे व्यपहरण और अपहरण के पश्चात् उसे निरोध में रखा था ; और (3) व्यपहरण या अपहरण फिरौती के लिए था । नेत्तरपाल **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली), 2001 क्रिमिनल ला जर्नल 1669 (दिल्ली) वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विनिश्चय का यह दलील देने के लिए जोरदार अवलंब लिया गया कि चूंकि फिरौती की मांग को अभि. सा. 2 के पिता को सूचित नहीं किया गया था, इसलिए मांग करने के आशय को पूरा नहीं किया गया था ।"

23. इस न्यायालय ने पैरा 13 से 15 में फिरौती के लिए मांग पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि मांग प्रारंभ में व्यपहृत व्यक्ति से की गई थी और मात्र इस तथ्य से कि मांग करने के पश्चात् इसे किसी अन्य व्यक्ति को सूचित नहीं किया जा सका था क्योंकि अभियुक्त को इसी बीच गिरफ्तार कर लिया गया था, धारा 364क की शर्तों का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है । उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय का सरोकार केवल फिरौती से था, इसलिए धारा 364क की अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया गया था ।

24. अगला निर्णय **अनिल** उर्फ **राजू नामदेव पाटिल** बनाम **दमन और दीव प्रशासन और एक अन्य**[1] वाले मामले में का है । उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने धारा 364 और 364क के अधीन कारित अपराध के संघटकों पर विचार किया था । पैरा 55 में निम्नलिखित अधिकथित किया गया था :–

> "55. ..... धारा 364क के अधीन कारित अपराध के लिए

---

[1] (2006) 13 एस. सी. सी. 36.

दोषसिद्धि अभिप्राप्त करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि न केवल ऐसा व्यपहरण या दुष्प्रेरण किया गया हो अपितु उसके पश्चात् अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति कारित करने की धमकी दी हो या उसके आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा हुई हो कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश करता है ।"

25. इस प्रक्रम पर, हम **सुमन सूद** उर्फ **कमलजीत कौर** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं । उपरोक्त मामले में, सुमन सूद और उसके पति दया सिंह लाहोरिया अपहरण के मामले में अभियुक्त थे । उनका धारा 120ख के साथ पठित धारा 364क, 365, 343 और धारा 120ख के साथ पठित धारा 346 के अधीन अपराध के लिए विचारण किया गया था । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 120ख के साथ पठित धारा 365, धारा 120ख के साथ पठित धारा 343 और धारा 120ख के साथ पठित धारा 346 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया था । तथापि, उसे धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया था । उच्च न्यायालय द्वारा धारा 120ख के साथ पठित धारा 365, धारा 120ख के साथ पठित धारा 343 और धारा 120ख के साथ पठित धारा 346 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था । किंतु उच्च न्यायालय द्वारा एक अपील में धारा 120ख के साथ पठित धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए उसकी दोषमुक्ति को अपास्त कर दिया गया और उसे धारा 364क के अधीन अपराध के लिए भी दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया

---

[1] (2007) 5 एस. सी. सी. 634.

था । उसके द्वारा धारा 364क के अधीन अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए फाइल की गई अपील में इस न्यायालय ने सुमन सूद की धारा 364क के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति पर विचार किया था । इस न्यायालय ने पैरा 64 में निम्नलिखित उल्लेख किया :–

> "64. विचारण न्यायालय के अनुसार, अभियोजन पक्ष सुमन सूद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपों को 'युक्तियुक्त संदेह के परे' साबित करने में असफल रहा था क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे यह कहा जा सके कि यह सिद्ध किया गया है कि सुमन सूद भी 'दबाव डालने की युक्ति' में भागीदार थी या राजेन्द्र मिर्धा के बदले में देवेन्द्र पाल सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए विपदग्रस्त या उसके परिवार के सदस्यों को आतंकित किया था । अत: विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वह संदेह के फायदे की हकदार है ।"

26. विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभिलेख पर ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह कहा जा सके कि यह सिद्ध किया गया है कि सुमन सूद भी दबाव डालने की युक्ति में भागीदार थी या विपदग्रस्त अथवा उसके परिवार को आतंकित किया था । इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा की गई सुमन सूद की दोषमुक्ति को अनुमोदित किया और सुमन सूद को दोषसिद्ध करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया । इस न्यायालय द्वारा पैरा 71 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "71. संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तथा समस्त साक्ष्य पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने सुमन सूद को भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त करके अवैध रूप से या विधिविरुद्ध कार्य किया था । अत: उच्च न्यायालय को अभियुक्त सुमन सूद की भारतीय दंड

संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 364क के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को अपास्त नहीं करना चाहिए था । अत: इस सीमा तक उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।"

27. इस प्रकार, विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि सुमन सूद दबाव डालने की युक्ति में भागीदार थी या विपदग्रस्त अथवा उसके परिवार के सदस्यों को आतंकित किया था, इसलिए धारा 364क में यथा प्रगणित शर्त के पूर्ण न होने के कारण विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति अभिलिखित की थी जिसकी इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी । उपरोक्त मामले से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि जब तक धारा 364क में यथा प्रगणित सभी शर्तें पूर्ण नहीं की जाती हैं, कोई दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है ।

28. अब हम अगले निर्णय अर्थात् **विश्वनाथ गुप्ता** बनाम **उत्तरांचल राज्य**[1] वाले मामले पर आते हैं । उपरोक्त मामले में, विपदग्रस्तों को उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले से अपहृत किया गया था और फिरौती के लिए मांग और जो धमकी दी गई थी वह एक अन्य जिले अर्थात् नैनीताल तक विस्तारित थी और विपदग्रस्त की मृत्यु एक अन्य जिले अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव में कारित की गई थी । इस न्यायालय को धारा 364क के संघटकों पर विचार करना था और पैरा 8 और 9 में निम्नलिखित अधिकथित किया गया था :–

"8. धारा 364क के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या व्यपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है और

---

[1] (2007) 11 एस. सी. सी. 633.

फिरौती का दावा करता है तथा यदि मृत्यु कारित की जाती है तब उस मामले में अभियुक्त को मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है और जुर्माने का संदाय करने के लिए भी दायी होगा ।

9. धारा 364क का महत्वपूर्ण संघटक, यथा स्थिति, अपहरण या व्यपहरण है । उसके पश्चात् व्यपहृत/अपहृत को दी गई यह धमकी कि यदि फिरौती के लिए मांग को पूरा नहीं किया जाता है तब विपदग्रस्त की मृत्यु कारित किया जाना संभाव्य है और यदि मृत्यु कारित की जाती है तो धारा 364क के अधीन अपराध पूर्ण हो जाता है । इस धारा में तीन प्रक्रम हैं, एक व्यपहरण या अपहरण, दूसरा धन की मांग के साथ-साथ मृत्यु की धमकी देना और अंतिम जब मांग पूरी नहीं की जाती है तब मृत्यु कारित कर देना है । यदि तीनों संघटक उपलब्ध हों, तो इससे दंड संहिता की धारा 364क के अधीन अपराध का गठन हो जाएगा । तीनों संघटकों में से कोई एक स्थान पर या अलग-अलग स्थानों पर घटित हो सकता है । प्रस्तुत मामले में, धन की मांग और इसके साथ जो धमकी का अवबोधन था वह हल्द्वानी, नैनीताल से किया गया था । मृतक लखनऊ से व्यपहृत किए गए थे और उनकी मृत्यु उन्नाव में कारित की गई थी । अत: अभियुक्तों द्वारा प्रथम अपराध तब कारित किया गया था जब उन्होंने लखनऊ से रवि वार्ष्णेय और अनुसामंत को व्यपहृत किया था । अत: लखनऊ उच्च न्यायालय को मामले का विचारण करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता हो सकती थी ।"

29. इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में यह अधिकथित किया कि इस धारा में तीन प्रक्रम हैं, एक व्यपहरण या अपहरण, दूसरा मृत्यु की धमकी के साथ धन की मांग और तीसरा जब मांग पूरी नहीं की जाती है तब मृत्यु कारित कर देना है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि तीनों संघटक उपलब्ध हैं तो इससे भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध का गठन हो जाएगा । उपरोक्त मामले के संदर्भ में धारा 364क पर विचार करते हुए पैरा 17 में निम्नलिखित

अधिकथित किया गया :–

> "17. ..... किंतु, यहां धारा 364क के मामले में कुछ अधिक है अर्थात् एक व्यक्ति लखनऊ से अपहृत किया गया था और धमकी के साथ मांग हल्द्वानी, नैनीताल से की गई थी । यदि रकम अपहरणकर्ताओं को संदत्त नहीं की जाती है तब संभवत: विपदग्रस्त की मृत्यु कारित की जा सकती है । धारा 364क के अधीन अपराध का गठन करने के लिए सभी संघटक लखनऊ या उन्नाव में घटित नहीं हुए थे । दो घटनाएं अर्थात् विपदग्रस्त का अपहरण और मृत्यु उत्तर प्रदेश राज्य में घटित हुई थी किंतु एक संघटक अर्थात् फिरौती की मांग करते हुए धमकी हल्द्वानी, नैनीताल में विपदग्रस्तों के मकान पर दी गई थी अन्यथा विपदग्रस्त की मृत्यु कारित कर दी जाएगी । अत: संघटकों में से एक हल्द्वानी, नैनीताल की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर घटित हुआ था । इसलिए यह ऐसा मामला है जिसमें अपराध तीन स्थानों पर घटित हुआ था अर्थात् हल्द्वानी, नैनीताल जहां विपदग्रस्त को जान से मारने की धमकी दी गई थी और धन की मांग की गई थी, विपदग्रस्त को लखनऊ से अपहृत किया गया था और अंततोगत्वा उन्नाव में उसकी मृत्यु कारित की गई थी । .....।"

30. अगला मामला, जिसका उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है, **विक्रम सिंह** उर्फ **विक्की और एक अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ का निर्णय है । उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने धारा 364क की परिधि और तात्पर्य पर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित विस्तार से विचार किया था । पूर्ववर्ती मामलों का उल्लेख करने के पश्चात् इस न्यायालय ने यह अधिकथित किया कि धारा 364क के तीन सुभिन्न संघटक हैं । पैरा 25 में धारा 364क के सुभिन्न संघटकों के संबंध में निम्नलिखित अधिकथित किया गया था :–

> "25. .....। भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के तीन

---

[1] (2015) 9 एस. सी. सी. 502.

सुभिन्न संघटक हैं अर्थात् (i) संबंधित व्यक्ति विपदग्रस्त का व्यपहरण या अपहरण करता है या विपदग्रस्त को व्यपहरण या अपहरण करने के पश्चात् निरोध में रखता है; (ii) मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी देता है या मृत्यु या उपहति कारित करने की आशंका पैदा करता है या वास्तव में उपहति या मृत्यु कारित करता है; और (iii) व्यपहरण, अपहरण या निरोध और मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी, ऐसी मृत्यु या उपहति कारित करने की आशंका या वस्तुत: मृत्यु या उपहति संबंधित व्यक्ति या किसी अन्य का कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से प्रविरत रहने या फिरौती का संदाय करने के लिए प्रपीड़न करने हेतु कारित की जाती है .....।"

31. हम **अरविन्द सिंह** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के एक और निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं । उपरोक्त मामले में, अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 द्वारा डाक्टर मुकेश रमनलाल के आठ वर्षीय पुत्र का व्यपहरण किया गया था । अभियुक्त-1 डा. चंडक का कर्मचारी था । यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त-1 को डा. चंडक के विरुद्ध शिकायत थी । जब लड़के का व्यपहरण किया गया था, अभियुक्त-2 ने अभियुक्त-1 का साथ दिया था और लड़के के व्यपहरण के पश्चात् यह पाया गया था कि लड़के की हत्या कर दी गई थी और अभियुक्त-1 के बताने पर शव एक नाले पर निर्मित एक पुल से बरामद किया गया था । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-1 और अभियुक्त-2 दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 364क और धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए मृत्यु दंडादेश दिया । उच्च न्यायालय ने मृत्यु दंडादेश की अभिपुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी । अभियुक्त-2 की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों में से एक दलील यह थी कि यद्यपि बालक का व्यपहरण फिरौती के लिए किया गया था किंतु बालक की जान लेने का कोई आशय नहीं था,

---

[1] (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 400.

इसलिए धारा 364क के अधीन अपराध नहीं बनता है । इस न्यायालय ने पैरा 90, 91 और 92 में धारा 364क के संघटकों पर विचार किया, जिनमें से एक "मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी" था और निम्नलिखित मत व्यक्त किया :–

> "90. एक दलील यह दी गई कि बालक का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था किंतु बालक की जान लेने का कोई आशय नहीं था, इसलिए धारा 364क के अधीन अपराध नहीं बनता है । दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 364क को नीचे उद्धृत किया जाता है –
>
> > '364क. फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण – जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रहेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।'
>
> 91. प्रस्तुत अपीलों के लिए सुसंगत भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के तीन संघटक हैं, पहला, व्यपहरण या अपहरण का तथ्य, दूसरा, मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी और अंतिम, आचरण जिससे ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा हो कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है ।
>
> 92. आठ वर्षीय बालक का व्यपहरण असंदिग्ध रूप में फिरौती के लिए था । फिरौती के लिए ऐसे सुकुमार आयु के किसी

> विपदग्रस्त के अपहरण में मृत्यु कारित करने की अंतर्निहित धमकी होती है क्योंकि केवल यही बात ऐसे विपदग्रस्त के नातेदारों को फिरौती का संदाय करने के लिए विवश करेगी । चूंकि फिरौती के लिए किसी बालक का व्यपहरण करने के कृत्य में मृत्यु कारित करने की अंतर्निहित धमकी होती है, इसलिए अभियुक्तों को ठीक ही भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 364क के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था । धमकी एक मात्र धमकी बनी रहेगी, यदि विपदग्रस्त किसी उपहति के बिना वापस लौटा दिया जाता है । प्रस्तुत मामले में, विपदग्रस्त की मृत्यु कारित कर दी गई थी । धमकी एक वास्तविकता बन गई थी । विद्वान् सेशन न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है ।"

32. हमारे लिए पैरा 92 में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जिसमें इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि आठ वर्षीय विपदग्रस्त की फिरौती के लिए किए गए अपहरण में मृत्यु कारित करने की अंतर्निहित धमकी होती है क्योंकि केवल यही बात फिरौती देने के लिए विपदग्रस्त के नातेदारों को विवश करेगी । इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि चूंकि किसी बालक का व्यपहरण करने के कृत्य में मृत्यु कारित करने की अंतर्निहित धमकी होती है, इसलिए अभियुक्तों को ठीक ही भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 364क के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है । अगले वाक्य में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धमकी एक मात्र धमकी बनी रहेगी, यदि विपदग्रस्त उपहति के बिना लौटा दिया जाता है, "विपदग्रस्त की मृत्यु कारित कर दी गई थी इसलिए धमकी एक वास्तविकता बन गई थी" । तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की गई उपरोक्त मताभिव्यक्ति को उस मामले के तथ्यों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए था । पैरा 92 में ऐसा कोई विनिश्चयाधार अधिकथित नहीं किया गया है कि जब किसी आठ वर्षीय बालक (या किसी सुकुमार आयु के बालक का) फिरौती के लिए

व्यपहरण/अपहरण किया जाता है, तो मृत्यु कारित करने की अंतर्निहित धमकी होती है और दूसरी शर्त, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, अर्थात् ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देगा, साबित नहीं की जानी चाहिए । इन मताभिव्यक्तियों का पठन यह अर्थ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है कि किसी आठ वर्षीय बालक (या किसी सुकुमार आयु के बालक) के व्यपहरण या अपहरण के मामले में विधि में यह उपधारणा उद्भूत होगी कि व्यपहरण या अपहरण उपहति या मृत्यु कारित करने के लिए किया गया था । प्रत्येक मामले को स्वयं उसके तथ्यों के आधार पर विनिश्चित किया जाना चाहिए । पूर्वगामी पैराओं हमने यह उल्लेख किया है कि किसी अभियुक्त को धारा 364क के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने से पूर्व धारा 364क में प्रगणित सभी तीनों सुभिन्न शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए । अत: पैरा 92 में की गई मताभिव्यक्तियों को धारा 364क के अधीन अपराध को सिद्ध करने के लिए ऊपर उल्लिखित दूसरी शर्त के स्थापन को हटाने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है ।

33. धारा 364क के कानूनी उपबंधों और ऊपर उल्लिखित मामलों में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि पर विचार करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि किसी अभियुक्त को धारा 364क के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जिन आवश्यक संघटकों को साबित किया जाना अपेक्षित है, वे निम्नलिखित हैं :–

(i) किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् व्यक्ति को निरोध में रखना ; और

(ii) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देना या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करना कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है या ;

(iii) ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करना जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या किसी

सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए ।

34. इस प्रकार, पहली शर्त सिद्ध करने के पश्चात् एक और शर्त को पूरा किया जाना चाहिए चूंकि पहली शर्त के पश्चात् प्रयुक्त शब्द "और" है । इस प्रकार, पहली शर्त के अतिरिक्त या तो शर्त (ii) या (iii) को साबित किया जाना चाहिए, जिसके असफल रहने पर धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि संधार्य नहीं की जा सकती है ।

35. दूसरी शर्त जो "और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको उपहति कारित करने की धमकी देता है, या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करता है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है", इस मामले में विचार के लिए सुसंगत है चूंकि अपीलार्थी ने अपनी दलील को केवल इस शर्त को पूरा न करने के संबंध में सीमित रखा है । हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष जो अपील के आधार फाइल किए हैं उनमें आधार सं. 6 और 7 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था :–

> "6. विद्वान् न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में असफल रहे थे कि अभि. सा. 2 ने यह अभिकथन किया था कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था और इसलिए मृत्यु या उपहति कारित करने की कोई धमकी नहीं दी गई थी ।
>
> 7. विद्वान् न्यायाधीश को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि अभि. सा. 1 ने यह कथन नहीं किया था कि अभियुक्त ने उसके पुत्र को उसकी मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी दी थी ।"

36. अब हम पहले विद्वान् सेशन न्यायाधीश के निर्णय पर दूसरी शर्त पूर्ण होने और विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा इस बाबत अभिलिखित निष्कर्षों के संबंध में विचार कर सकते हैं । विद्वान् सेशन न्यायाधीश के निर्णय से यह उपदर्शित होता है कि पैरा 12 से 19 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने विभिन्न साक्षियों के साक्ष्यों का उल्लेख

किया है और पैरा 20 में निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं :–

> "20. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप के लिए उसकी दोषिता को सिद्ध करने के लिए कतई पर्याप्त नहीं हैं । उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियुक्त वास्तविक अपराधी नहीं है और उसके विरुद्ध एक मिथ्या मामला गढ़ा गया था तथा वह अभिकथित व्यपहरण से किसी भी प्रकार संबद्ध नहीं है । अभि. सा. 1 से 5 और अभि. सा. 8 के उक्त परिसाक्ष्य के साथ-साथ प्रदर्श पी-1 से पी-4 और तात्विक वस्तु 1 से 3 से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने अभि. सा. 2 का व्यपहरण किया था और अभि. सा. 1 से टेलीफोन करके अभि. सा. 2 को छोड़ने के लिए दो लाख रुपए की मांग की थी । इसलिए अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन अपराध के लिए दोषिता को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है और वह दोषसिद्ध किए जाने के लिए दायी है । तदनुसार, इस बिंदु का उत्तर अभियोजन पक्ष के समर्थन में और अभियुक्त के विरुद्ध दिया जाता है ।"

37. पैरा 20 में के निष्कर्षों से यह प्रकट होता है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने अभि. सा. 2 का व्यपहरण किया था और अभि. सा. 1 को टेलीफोन करके अभि. सा. 2 को छोड़ने के लिए दो लाख रुपए की मांग की थी । इस निष्कर्ष के आधार पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि के लिए मामले को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित ऐसे कोई निष्कर्ष नहीं हैं कि शर्त सं. 2 को भी पूरा किया गया है ।

38. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पैरा 27 में यह मत व्यक्त किया कि :–

> "27. अपीलार्थी/अभियुक्त को अभिकथित अपराध के साथ

जोड़ने के लिए अभिलेख पर तर्कपूर्ण, विश्वसनीय और जबरदस्त साक्ष्य है । अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोषिता को सभी युक्तियुक्त संदेह के परे पूरी तरह से साबित किया है । निचले न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया था और अपीलार्थी/अभियुक्त को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ठीक ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया था । यहां एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए कुछ नहीं है । अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से दी गई सभी दलीलें असफल होती हैं । यह दांडिक अपील गुणागुण रहित है और खारिज किए जाने योग्य है ।"

39. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा के उसके समक्ष उठाए गए इस आधार पर विचार नहीं किया था कि अभियुक्त द्वारा मृत्यु या उपहति कारित करने की कोई धमकी नहीं दी गई थी । अत: उच्च न्यायालय के निर्णय से यह कहा जा सकता है कि शर्त सं. 2 को पूरा करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं है । दोनों न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया था कि शर्त सं. 2, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर सिद्ध की गई पाई गई है, इसलिए धारा 364 के अधीन दोषसिद्धि असंधार्य बन गई है । प्रस्तुत मामला ऐसा नहीं है जहां शर्त सं. (iii) अर्थात् "या उपहति या मृत्यु कारित की है" की प्रयोज्यता का दावा तक किया गया हो । इस प्रकार, शर्त सं. (ii) को पूरा करना धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि के लिए आवश्यक था ।

40. तथापि, हम अभिलेख पर के साक्ष्य की परीक्षा अपना यह समाधान करने के लिए अग्रसर होंगे कि क्या ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह साबित हो सके कि शर्त सं. 2 अर्थात् "मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी दी गई थी या अभियुक्त के आचरण से यह युक्तियुक्त आशंका पैदा हुई थी कि विपदग्रस्त की हत्या की जा सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है" सिद्ध होती है । शिकायतकर्ता, अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा था कि "मेरे पुत्र पर शारीरिक

रूप से हमला नहीं किया गया था .....। मेरे पुत्र ने मुझे दुर्व्यवहार या किसी प्रकार का हमला करने के बारे में शिकायत नहीं की थी । मेरे पुत्र को सही स्वास्थ्य और मेरे पुत्र को किसी प्रकार की कठिनाई के बिना रखा गया था ।" अभि. सा. 2, विपदग्रस्त की भी परीक्षा की गई थी, जो परीक्षा के समय 13 वर्ष की आयु का था । विपदग्रस्त ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा – "मुझ पर हमला नहीं किया गया था और न ही मुझे थप्पड़ मारा गया था और न ही मेरी पिटाई की गई थी । उन्होंने मेरे साथ अच्छी रीति में व्यवहार किया था ।"

41. इस प्रकार, न तो अभि. सा. 1, विपदग्रस्त के पिता, शिकायतकर्ता ने और न ही विपदग्रस्त ने यह कहा था कि किसी अभियुक्त ने मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी दी थी । न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था उससे अन्यथा यह सुझाव मिलता है कि विपदग्रस्त पर हमला नहीं किया गया था और उसके साथ अच्छी रीति में सही व्यवहार किया गया था, जैसा कि विपदग्रस्त द्वारा कथन किया गया था ।

42. अब शर्त सं. 2 के दूसरे भाग अर्थात् "या उसके आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है" पर आते हैं । न तो निचले न्यायालय द्वारा चर्चा किया गया अभियुक्त का कोई ऐसा आचरण है जिससे एक युक्तियुक्त आशंका पैदा हुई हो कि विपदग्रस्त की हत्या की जा सकती है या उसको उपहति कारित की जा सकती है और न ही साक्ष्य में ऐसी कोई बात है जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि शर्त का दूसरा भाग पूरा होता है । अत: हमारा यह मत है कि अभिलेख पर के साक्ष्य से धारा 364क की दूसरी शर्त को पूरा किया साबित नहीं होता है । दूसरी शर्त भी एक पूर्ववर्ती शर्त है जिसका भारतीय दंड संहिता की धारा 364क लागू करने के लिए समाधान किया जाना आवश्यक है ।

43. दूसरी शर्त को सिद्ध किया गया साबित नहीं होने के कारण हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल की इस दलील में सार पाते हैं

कि अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि असंधार्य है । अत: हम अपीलार्थी की धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं तथापि, व्यपहरण के संबंध में अभिलेख पर के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त ने फिरौती के लिए विपदग्रस्त का व्यपहरण किया था और फिरौती की मांग को भी साबित किया गया था । यद्यपि धारा 364क के अधीन अपराध को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है किंतु व्यपहरण के अपराध को पूरी तरह से सिद्ध किया गया है जिसके संबंध में विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पैरा 19 और 20 में एक स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया है । व्यपहरण का अपराध साबित किया गया है इसलिए अभियुक्त धारा 363 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने योग्य है । धारा 363 में दंड के लिए उपबंध किया गया है जिसमें ऐसी अवधि का कारावास का उपबंध है जो 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

44. प्रस्तुत मामले के तथ्यों में हमारा यह समाधान हो गया है कि अपीलार्थी सात वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किए जाने योग्य है और पांच हजार रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के निर्णय को उपरोक्त सीमा तक उपांतरित किया जाता है । अपीलार्थी की धारा 364क के अधीन दोषसिद्धि और उसके दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को व्यपहरण के धारा 364 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया जाता है । सात वर्ष का कारावास पूर्ण हो जाने के पश्चात् (यदि पहले ही पूरा नहीं हुआ है) अपीलार्थी को रिहा कर दिया जाएगा ।

45. यह अपील उपरोक्त सीमा तक भागत: मंजूर की जाती है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.